कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 273 / तेरह–आ0प्र0 / 2020 दिनांक– 28 मार्च, 2020

प्रभारी अधिकारी, वार रूम (CoVID-19)
जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।

विषय– जनपद में आये देशी / विदेशी नगरिकों की निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त के सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि कोरोना वायरस के बढते हुए संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में आ रहें देशी / विदेशी नागरिकों की विस्तृत सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारूप संलग्न

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

::आदेश::

कोरोना वायरस (**Covid-19**) के संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 14.03.2020 तक लॉक–डाउन किया गया है। लॉक डाउन अवधि में जनपद के सभी उपभोक्ताओं को विद्युत एवं पेयजल की आपूर्ति अनिवार्यतः सुचारू रखी जाये। उक्त सेवाऐं आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आती है। संज्ञान में आया है कि विद्युत एवं जल संस्थान द्वारा विद्युत एवं पेयजल के बकायादारों के संयोजन काट दिये गये है जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत एवं पेयजल की आपूर्ति बाधित हो गयी है।

अतः उक्त के क्रम में आदेशित किया जाता है कि लॉक डाउन की अवधि में स्थाई रूप से सभी उपभोक्ताओं को विद्युत एवं पेयजल की आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 272 /तेरह–आ0प्र0/2020 *दिनांक– 28 मार्च, 2020*

प्रतिलिपि :– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

2– अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी/बडकोट।

3– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी/बडकोट।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 271 /तेरह–आ0प्र0/2020 दिनांक–28 मार्च, 2020

समस्त उप जिलाधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।

विषय–चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता एवं उपभोग का सत्यापन विषयक।

कोरोना वायरस (CoVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक लॉक–डाउन किया गया है। लॉक डाउन अवधि में CoVID-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक केन्द्रो में आवश्यक चिकित्सा सामाग्री यथा मास्क, पी0पी0ई0, लेटेक्स गल्बस, सर्जिकल गलब्स, एन0–95 मास्क, हेन्ड सेनेटाईजर, आई0आर0 थर्मामीटर, सोडियम हाईपो क्लोराईट, ब्लीचिग पाउडर, नेब्युलाईजर, तथा ऑक्सीजन सिलेण्डर आदि पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।

अतः उक्त के क्रम में आदेशित किया जाता है की आप तत्काल अपने परगना क्षेत्रान्तर्गत समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्टॉक की जॉच कर सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी के साथ सयुक्त रूप से सत्यापन करते हुए प्राप्ति एवं खपत का विवरण उपलब्ध करायें। पूर्व में स्वास्थ्य केन्द्रों को उपलब्ध करायी गयी सामग्री की खपत का औचित्य स्पष्ट करें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सामग्री है, यदि किसी कार्मिक अथवा अधिकारी द्वारा उक्त सामाग्रियों दुरूपयोग की स्थिति पायी जाये तो तत्काल सूचना उपलब्ध करायेंगे।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– **निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

2– प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।

3– समस्त चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनपद उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

वर्तमान मे विश्व भर के अधिकांश देशो मे कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40-2/2020-DM-I(A) दिनांक 11 मार्च 2020 के कम मे आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यकारणी समिति के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 69 के तहत शक्तियो का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संकमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। इस संबंध मे शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने व रोकथाम एवं बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम व बचाव हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं प्राविधानों का प्रयोग करते हुए संलग्न सूची अनुसार भवनों को तत्काल क्वारेन्टाईन वार्ड बनाये जाने हेतु अग्रिम आदेशों तक अधिगृहीत किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्न-यथोपरि।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

कार्यालय जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या- 270 /तेरह-आ0प0/कोरोना/2020 दिनांक 28 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :

1- सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेपित।
2- सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ प्रेपित।
3- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेपित कि उक्त भवन में आईसोलेशन वार्ड एवं क्वारेन्टाईन वार्ड से सम्बन्धित समस्त सुविधायें तत्काल करवाना सुनिश्चित करेंगे।
5- उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बड़कोट/पुरोला को कार्यवाही हेतु प्रेपित।
6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।
7- तहसीलदार भटवाडी/डुण्डा/चिन्यालीसौड़/बडकोट/पुरोला/मोरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।
8- वार्डन कस्तूरबा गांधी छात्रावास, चिन्यालीसौड़/नौगांव/पुरोला/मोरी को अनुपालनार्थ प्रेपित।
9- प्रधानाचार्य राजीव/जवाहर नवोदय विद्यालय चिन्यालीसौड़/पुरोला को अनुपालनार्थ।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

Reporting format for preparedness of QF and Iws Dist: Uttarkashi

Units prepareness - **01 for yes and 00 for no**

Distict Name / Nodal officer/ phone no	Code No*	Target beds	Units identified	Building - Name and location	Contact name and ph no of facility manager	Beds (In Numbers)	Training of Supporting staff (01/02)	Medical and paramedic	Contact name and ph no of medical in-	Training of Medical and para	PPE supplied (01/00)	Bio Medicine SWM	Communication Connectivity	Transportation and ambulance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Uttarkashi/ mr tirthpal singh /9412990299	H	-	Kasturba Gandhi Awasiy Balika Chhatrawas, Chinyalisaur	Dhanpur, Chinyalisaur	Mrs. Shela Negi 9410199359	50	01	MoIC	Dr. Kulveer Singh Rana, 9410107133	01	01	01	01	01	
Uttarkashi/ mr. tirthpal singh /9412990299	I	-	Kasturba Gandhi Awasiy Balika Chhatrawas Naugaon (Junior)	Gangnani, Naugaon	Mrs. Meenakshi 9456739697	50	01	MoIC	Dr. Angad Rana, 8393999161	01	01	01	01	01	
Uttarkashi/ mr tirthpal singh /9412990299	J	-	Balika Chhatrawas Naugaon (senior)	Gangnani, Naugaon	Mrs. Sarojni Rawat 8449499112	100	01	MoIC	Dr. Kulveer Singh Rana, 9410107133	01	01	01	01	01	
Uttarkashi/ mr. tirthpal singh /9412990299	K	-	Kasturba Gandhi Awasiy Balika Chhatrawas, Purola	Kandiyal Gaon, Purola	Mrs. Urmila Dhiman 9405597887	50	01	MoIC	Dr. Kulveer Singh Rana, 9410107133	01	01	01	01	01	
Uttarkashi/ mr. tirthpal singh /9412990299	L	-	Kasturba Gandhi Awasiy Balika Chhatrawas, Mori	Kharsari, Mori	Mrs Parmila Rawat 9456123475	50	01	MoIC	Dr. Pankaj, 9456192742	01	01	01	01	01	-
Uttarkashi/ mr. tirthpal singh /9412990299	M	-	Jawahar Navodaya Vidhyalaya, Purola	Dhungiri, Purola	Mr. Pramod Rawat 7457852460	200	01	MoIC	Dr. Kulveer Singh Rana, 9410107133	01	01	01	01	01	-
Uttarkashi/ mr. tirthpal singh /9412990299	N	-	Rajeev Navodaya Vidhyalaya, Chinyalisaur	Main Market Chinyalisaur	Mr. Sanjay Kumar 9411145094	0	01	MoIC	Dr. Kulveer Singh Rana, 9410107133	01	01	01	01	01	-
Uttarkashi/ mr tirthpal singh /9412990299	O	-	Sanskrit Mahavidalaya, Uttarkashi	Ujeli, Uttarkashi	Mr. M.P Dangwal 9897812797	50	01	MoIC	Dr. Kulveer Singh Rana, 9410107133	01	01	01	01	01	-

DMO

28-03-20

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–263/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक 28 मार्च, 2020

जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी,
उत्तरकाशी।

विषयः– पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों की तैनाती के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अन्र्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिय लॉक डाउन किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत जनपद में गैस वितरण करते समय भीड एकत्रित हो रही है। अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी से समन्वय कर गैस वितरण वाले स्थानों पर आवश्यकतानुसार पी0आर0डी0 के जवानों की तैनाती करना सुनिश्चित करें । उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

<u>प्रतिलिपिः–</u> जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
परियोजना प्रबन्धक,
शहरी क्षेत्र विकास विकास संस्था,
सैटैलाईट कन्ट्रोल रूम, COVID-19 देहरादून।

पत्र संख्या– 261 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 28 मार्च, 2020

विषय:- <u>कोविड–19 कन्ट्रोल रूम तथा कन्टेक ट्रेसिंग के सम्बन्ध में</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–यू0यू0एस0डी0ए0/Satellite Control Room COVID-19 Dehradun/888 दिनांक 27.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर BRT/CRT टीमों का विकास खण्डवार गठन किया गया है। जिसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सादर संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:– निम्नांकितों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–262/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 28 मार्च, 2020

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
उत्तरकाशी।

विषयः– 262 चिन्यालीसौड में सुचारू पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अर्न्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिय लॉक डाउन किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत संज्ञान में लाया गया है कि चिन्यालीसौड में सुचारू पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण आमजनमानस को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एवं पेयजल आपूर्ति हेतु हैण्डपम्प आदि के इर्द–गिर्द भीड एकत्रित हो रही है जिस कारण लॉक डाउन के उद्देश्य एवं धारा 144 के आदेशों का भी उल्लंधन हो रहा है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि तत्काल चिन्यालीसौड अन्तर्गत सुचारू पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करें तथा दैनिक रूप से आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने के साथ अपनी उपस्थिति कन्ट्रोल रूम में दर्ज करायें। उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

भवदीय,

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु BRT/CRT गठित का विवरण

जनपद का नाम	विकासखण्ड/नगर निकाय का नाम	BRT/CRT का समन्वयक क सदस्यों के नाम व पदनाम वमो0 न0	BRT/CRT के अन्य सदस्यों के नाम व मो0 न0	आवंटित वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो0न0
उत्तरकाशी	**उत्तरकाशी (CRT)**	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी। (9412990299)	श्री पीस0चौहान, नायब तहसीलदार (9410312009) डॉ सुमित बरमन ,जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। (7060730645) श्री कमल कुमार उप निरीक्षक, कोतवाली, उत्तरकाशी (9410749085, 8006259675, 8057632012) श्री प्रवीन कुमार चौधरी, प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाइ (7895111707 ,9411112800)	UA/10GA-0052	श्री कृष्ण पाल गंगाडी (9627624744) श्री प्रीतम सिंह (7900863081)
	भटवाडी **(BRT)**	श्री प्रेम सिंह रावत, तहसीलदार, भटवाडी (9410196239)	श्री ज्येती प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी, भटवाडी (8006828140) श्री खुशीराम पाण्डेय, प्रभारी थानाध्यक्ष, मनेरी (9411112863) डॉ0 कुलवीर सिंह राणा, चिकित्साधिकारी, सामु0स्वास्थ्य केन्द्र, भटवाडी (9410107133) श्री राहुल कुमार ,निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, भटवाडी (9997082428)	UA/10-0028	श्री अमरपाल बुटोला (9557419325)
	डुण्डा **(BRT)**	श्री विरेन्द्र सिंह रावत, तहसीलदार, डुण्डा (9411331611/ 9068300000)	श्रीमती दृष्टि आनन्द, खण्ड विकास अधिकारी डुण्डा (मो0–9897970545) श्री महादेव प्रसाद उनियाल, थानाध्यक्ष, कोतवाली उत्तरकाशी (9411112862) डॉ0 सूरज भण्डारी, चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र डुण्डा (9410583666) श्री अजीत चौहान ,निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, डुण्डा (8126102307)	UA/10TA-4949	श्री सतपाल चौहान (8979700554)
	चिन्यालीसौड़ **(BRT)**	सुश्री श्रुति वस्त, खण्ड विकास अधिकारी, चिन्यालीसौड(8755451241)	श्री विनोद थपलियाल, थानाध्यक्ष धरासू (9411112864) डॉ0 जितेन्द्र भण्डारी, चिकित्साधिकारी समु0 स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्यालीसौड (9412312300) श्री सन्तोष विष्ट ,निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, चिन्यालीसौड (9758584174)	UA/10-4416	श्री महेश रतूडी (8171308174)
	नौगांव **(BRT)**	श्री मोहन सिंह राणा, तहसीलदार, बडकोट (9412379978 7895818915)	श्री दलबीर सिहं भण्डारी, खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव (7455930400) श्री दिगपाल सिंह, थानाध्यक्ष बडकोट (9411112864) डॉ0 अंगद सिंह राणा, सामु0स्वा0 बडकोट चिकित्साधिकारी (9411142459) श्री जगत सिंह रावत,निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, नौगांव (9997082428)	UA/10-0554	श्री रवी (7895692079)
	पुरोला **(BRT)**	श्री चन्दन सिंह राणा, तहसीलदार पुरोला (9411185808)	श्री तेग सिंह रावत खण्ड विकास अधिकारी, पुरोला (7579039229) श्री ऋतुराज सिहं रावत, प्रभारी थानाध्यक्ष (9411112866) डॉ0 पंकज कुमार, चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला (7455074955) श्री का0 संदीप स्थानीय अभिसूचना इकाई, (7579009607)	UA/07GA-0672	श्री अमित पंवार, ()
	मोरी **(BRT)**	श्री बलवीर सिंह, तहसीलदार, मोरी (7579110434)	श्री देवेन्द्र सिंह डिमरी, खण्ड विकास अधिकारी मोरी (7579146499) श्री केदार सिंह चौहान, थानाध्यक्ष, मोरी। (9412077402) डॉ0 एस0के0 जोशी, चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, मोरी (9456740735) का0 संदीप कवी , स्थानीय अभिसूचना इकाई, मोरी	Uk/07-9146	श्री महेन्द्र सिह (8171718713)

ह0

नोडल अधिकारी

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

वर्तमान में विश्व भर के अधिकांश देशों में कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40-2/2020-DM-I(A) दिनांक 11 मार्च 2020 के कम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यकारणी समिति के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने व रोकथाम एवं बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।

अतः उरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस की रोकथाम व बचाव हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं प्राविधानों का प्रयोग करते हुए संलग्न सूची के अनुसार भवनों को तत्काल आईसोलेशन वाई एवं क्वारेंन्टाईन वाई बनाये जाने हेतु अग्रिम आदेशों तक अधीगृहीत किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्न-यथोपरि।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

कार्यालय जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या-264 /तेरह-आ0प0/कोरोना/2020 दिनांक 28 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :

1- सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2- सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त भवन में आईसोलेशन वार्ड एवं क्वारेन्टाईन वार्ड से सम्बन्धित समस्त सुविधायें तत्काल करवाना सुनिश्चित करेंगे।
5- उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बड़कोट/पुरोला को कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7- तहसीलदार भटवाडी/डुण्डा/चिन्यालीसौड़/बडकोट/पुरोला/मोरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8- क्षेत्रीय प्रबन्धक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तरकाशी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
28/3/2020

Scanned with CamScanner

Reporting format for preparedness of QF and Iws Dist: Uttarkashi

Units prepareness - **01 for yes and 00 for no**

Distict Name / Nodal officer/ phone no.	Code No*	Target beds	Units Identified	Building - Name and location	Contact name and ph no of facility manager	Beds (In Numbers)	Training of Supporting staff (01/02)	Medical and paramedic team designated (01/00)	Contact name and ph no of medical in charge	Training of Medical and para medic staff (01/00)	PPE supplied (01/00)	Bio Medicine SWM system in place (01/00)	Communication Connectivity Established (01/00)	Transportation and ambulance ready (01/00)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Uttarkashi/ mr. tirthpal singh /9412990299	A	-	TRH, GMVN UKI	TRH Uttarkashi	Mr. Rajesh waila 9568006693	100	01	MoIC	Dr. Kulveer Singh Rana, 9410107133	01	01	01	01	01	-
Uttarkashi/ mr tirthpal singh /9412990299	B	-	TRH, GAMVN, BARKOT	TRH Barkot	Mr. Mukesh Uniyal, 9568006613	40	01	MoIC	Dr. Angad Rana, 8393999161	01	01	01	01	01	-
Uttarkashi/ mr. tirthpal singh /9412990299	C	-	TRH, GMVN , MANERI	TRH Maneri	Mr. R.C. Joshi, 7060410503	30	01	MoIC	Dr. Kulveer Singh Rana, 9410107133	01	01	01	01	01	-
Uttarkashi/ mr tirthpal singh /9412990299	D	-	TRH, GMVN, HARSHIL	TRH Harshil	Mr. PB Semval, 9410794479	30	01	MoIC	Dr. Kulveer Singh Rana, 9410107133	01	01	01	01	01	-
Uttarkashi/ mr. tirthpal singh /9412990299	E	-	TRH, GMVN, PUROLA	TRH Purola	Mr. Vijay Semval, 94129414243	26	01	MoIC	Dr. Pankaj, 9456192742	01	01	01	01	01	-
Uttarkashi/ mr tirthpal singh /9412990299	F	-	DHARAMSHALA/ASHRAM	Birla Dharmsala, uttarkashi	Mr. Ashok sharma, 9456789212, 8445105002	50	01	MoIC	Dr. Kulveer Singh Rana, 9410107133	01	01	01	01	01	-
Uttarkashi/ mr tirthpal singh /9412990299	G	-	DHARAMSHALA/ASHRAM	Punjab Chetr Ashram, Uttarkashi	Mr. Chandrashekar Bhatt, 9411519295	35	01	MoIC	Dr. Kulveer Singh Rana, 9410107133	01	01	01	01	01	-

DPOO, UKi
28/3/2020.

28/3/2020
ADM

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

मुख्य सचिव महोदय के पत्र संख्या-170/नि0स0-मु0स0/2020 दिनांक 24.03.2020 में दिये गये गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-03/2020-डी0एम0-I(A) दिनांक 24.03.2020 की गाईडलाईन के बिन्दु संख्या-14 के अनुपालन में निम्नवत् परगना स्तर पर Incient Commander नियुक्त किये जाते है।

क्र0सं0	परगना/ तहसील	परगना मजिस्ट्रेट/ Incient Commander का नाम	मोबाईल नं0
01	भटवाड़ी	श्री देवेन्द्र सिंह नेगी	9410191049
02	डुण्डा	श्री आकाश जोशी	8958855059
03	बड़कोट	श्री सोहन सैनी	9719773528
04	पुरोला	श्री मनीष कुमार	8447513145

उपरोक्त सभी Incient Commander को निर्देशित किया जाता है कि सभी अपने-अपने क्षेत्र में रहकर भारत सकरार के आदेश संख्या-40-03/2020-डी0एम0-I(A) दिनांक 24.03.2020 की गाईडलाईन का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभास से लागू होगा।

(डॉ आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट/ अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी/आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

दिनांक 26 मार्च, 2020

संख्या/ 250 /तेरह/

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
3- सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
6- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
8- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
9- उपरोक्त सभी परगना अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट/ अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान समय में कोरोना वायरस (Covid-19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के दृष्टिगत लॉक– डाउन है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये आम नागरिकों की समस्या के समन्वय एवं निराकरण हेतु हेल्प डैस्क, नोडल अधिकारी व अन्य महत्वपूर्ण दूरभाष जनपद में कोरोना वायरस (Covid-19) से सम्बन्धित समस्या/जानकारी हेतु निम्न कार्यालय के दूरभाष नम्बर अथवा मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

क्र0 सं0	केन्द्र/अधिकारी	विवरण	दूरभाष न0
1	जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र	विभिन्न विभागों से समन्वय	01374–222722, 7252887587 7310913129
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी कन्ट्रोल रूम (वार रूम) 24×7	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित	01374–222641
3	डॉ विपुल विश्वास नोडल अधिकारी वार रूम जिला चिकित्सालय परिसर		7248336889
4	परगना भटवाड़ी	परगना अर्न्तगत विभिन्न प्रकार की शिकायत एवं सुविधाओं हेतु	9410191049 (उप जिलाधिकारी) 8126167413
5	परगना डुण्डा		7579073428 (उप जिलाधिकारी) 9058686742
6	परगना बडकोट		9719773528 (उप जिलाधिकारी) 9411582665, 7830196914
7	परगना पुरोला		8447513145 (उप जिलाधिकारी) 01373–223321, 9720656880, 9410313431
8	नोडल अधिकारी (अपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी)	आम नागरिकों की समस्या के समन्वय एवं निराकरण	9412990299
9	श्री सुरेश तोमर, हेल्प डेस्क		7579186700
10	श्री राजेन्द्र रावत, नागरिक आपूर्ति		9411149140
11	श्री गोपाल मटूडा, जिला पूर्ति अधिकारी		9410180103
12	कन्ट्रोल रूम		01374–222177
13.	श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी		9456147974

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–249/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 26 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्नाकित को आवश्यक कार्यवाही, सूचनार्थ, प्रकाशनार्थ–

1– उपरोक्त सभी सम्बन्धित अधिकारियों को परिपालनार्थ

2– जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना जनहित में सभी समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करेंगे।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इसे महामारी घाषित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से निपटने हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 28 की उपधारा 01 के अन्तर्गत आपदा के दौरान जनपद उत्तरकाशी में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अधीन एतद् द्वारा COVID-19 Response Team का टीमों का गठन करते हुए निम्नवत दायित्व सौपे जाते है–

क0सं0	कोरना रिस्पॉन्स टीम	समिति/अधिकारी का नाम	अभियुक्ति/दायित्व
1	**परगना स्तर IRS प्रणाली के तहत Incident Commander**	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी।	उपरोक्त सभी Incident Commander को अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत भारत सरकार के आदेश संख्या–40–03/2020–डी0एम–II(I) दिनांक 24.03.2020 के गाईडलाईन का कड़ाई से अनुपालन करना।
2	**अन्यत्र राज्य एवं जनपद में फंसे व्यक्तियों हेतु सहायता सेल**	मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।	अन्यत्र राज्य एवं जनपदों में फंसे उत्तरकाशी जनपद के व्यक्तियों हेतु राज्य स्तर पर नामित अधिकारी श्री आलोक पाण्डे, पी0सी0एस0 (9415762771)से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित को सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
		पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।	
		अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	
सम्भावित कोरोना वायरस से संक्रमित विदेशी/स्थानीय नागरिको को चिन्हित करने हेतु अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में निम्न समिति को निर्देशित किया जाता है–			
3	**जिला स्तर पर चिन्हीकरण टीम**	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	उक्त टीम विकास खण्ड स्तर पर गठित चिन्हिकरण टीम से समन्वय कर दैनिक रूप से सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगी।
		मुख्य चित्साधिकारी उत्तरकाशी	
		उप मुख्य चिकत्साधिकारी, उत्तरकाशी	
		पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी	
विकास खण्ड स्तर सम्भावित कोरोना वायरस से संक्रमित विदेशी/स्थानीय नागरिको को चिन्हित करने हेतु निम्न समिति को निर्देशित किया जाता है–			
4	विकास खण्ड स्तर पर चिन्हिकरण टीम **भटवाडी।**	सम्बन्धित तहसीलदार।	विकास खण्ड स्तर पर सम्भावित कोरोना संक्रमित विदेशी/ स्थानीय संदिग्ध व्यक्तियों का निम्नवत् चिन्हीकरण करेंगी– लाल श्रेणी– विदेशी नागरिक, पीला श्रेणी– अन्य राज्यों से आये व्यक्ती जिनमें कोरोना सम्बन्धी लक्षण परलक्षित हो रहें है तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा वर्कस, ए0एन0एम0, राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधानो आदि ग्राम स्तरीय कर्मियों से प्रतिदिन सम्पर्क स्थापित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर दिनॉक 01.03.2020 के बाद शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों में आये विदेशी/स्थानीय नागरिकों की सूचना मय ट्रेवल हिस्ट्री एकत्रित करते हुए जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी को उपलब्ध करायेगी तथा आर0बी0एस0के0 के सचल दल द्वारा उनकी स्क्रीनिंग सुनिश्चित करायेगी।
		सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।	
		सम्बन्धित थानाध्यक्ष।	
		निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई	
	विकास खण्ड स्तर पर चिन्हिकरण टीम **डुण्डा**	सम्बन्धित तहसीलदार।	
		सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।	
		सम्बन्धित थानाध्यक्ष।	
		निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई	
	विकास खण्ड स्तर पर चिन्हिकरण टीम **चिन्यालीसौड़**	सम्बन्धित तहसीलदार।	
		सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।	
		सम्बन्धित थानाध्यक्ष।	
		निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई	
	विकास खण्ड स्तर पर चिन्हिकरण टीम **नौगांव**	सम्बन्धित तहसीलदार।	
		सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।	
		सम्बन्धित थानाध्यक्ष।	
		निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई	

क्रमशः.......2

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	कोरना रिस्पॉन्स टीम	समिति/अधिकारी का नाम	अभियुक्ति/दायित्व
	विकास खण्ड स्तर पर चिन्हिकरण टीम **पुरोला**	सम्बन्धित तहसीलदार।	
		सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।	
		सम्बन्धित थानाध्यक्ष।	
		निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई	
	विकास खण्ड स्तर पर चिन्हिकरण टीम **मोरी**	सम्बन्धित तहसीलदार।	
		सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।	
		सम्बन्धित थानाध्यक्ष।	
		निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई	
जनपद अन्तर्गत **Home Quarantine / Islolation** में रखे गये सम्भावित **COVID** व्यक्तियों की **निगरानी /वेलफेयर**			
5	**मटवाडी।**	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।	विकास खण्ड अन्तर्गत Quarantine/ Islolation में रखे गये सम्भावित कोरोना व्यक्तियों की निगरानी/ वेलफेयर हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों से प्रतिदिन दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित करते हुए समस्त आवश्यक व्यवस्थाए/सुविधाओं के सम्बन्ध में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र उत्तरकाशी को निर्धारित प्रारूप अवगत करायेगे। इसके अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करेगे।
		सम्बन्धित RBSK की टीम	
		सम्बन्धित सहायक परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास।	
	डुण्डा	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।	
		सम्बन्धित RBSK की टीम	
		सम्बन्धित सहायक परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास।	
	चिन्यालीसौड़	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।	
		सम्बन्धित RBSK की टीम	
		सम्बन्धित सहायक परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास।	
	नौगांव	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।	
		सम्बन्धित RBSK की टीम	
		सम्बन्धित सहायक परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास।	
	पुरोला	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।	
		सम्बन्धित RBSK की टीम	
		सम्बन्धित सहायक परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास।	
	मोरी	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।	
		सम्बन्धित RBSK की टीम	
		सम्बन्धित सहायक परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास।	

क्रमश......3

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	कोरना रिस्पॉन्स टीम	समिति/अधिकारी का नाम	अभियुक्ति/दायित्व
6	क्रय समिति/फाईनेंस सेक्शन	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी। मुख्य चिकित्साधिकारी,उत्तरकाशी। वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी	कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु स्थापित आईसोलेशन क्वारेन्टाईन वार्ड हेतु आवश्यक उपकरणों/सामग्री के क्रय की कार्यवाही तथा जिला चिकित्सालय एवं समस्त सी0एच0सी0 /पी0एच0सी0 में सम्भावित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की स्वास्थ्य जॉच/परीक्षण हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी एवं दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त आवश्यक तैयारियों, सुविधाओं सुनिश्चित करायेगें साथ ही Quarantine/ Islolation में विकास खण्डवार रखे गये व्यक्तियों को भी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगे।
कोरोना रोकथाम में लगे प्रशासनिक/विभागीय/ पुलिस कार्मिको/रेखीय विभाग को शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के कम में व्यकितगत/सामाजिक सुरक्षा उपायों की सावधानियों के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु			
7	ट्रेनिंग टीम	डॉ0 तरूण बुकेश्वर जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। डॉ बी0एस0 रावत, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	कोरोना की रोकथाम में लगे प्रशासनिक/विभागीय/पुलिस/चिकित्सा विभाग के कार्मिको को शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के कम में व्यक्तिगत/ सामाजिक सुरक्षा उपायों की सावधानियों के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु जिला/परगना स्तर पर छोटे-छोटे बैंच में Social Distance Maintain करते हुए आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य विभाग का सहयोग प्राप्त करते हुए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का रोस्टर तैयार कर प्रशिक्षण का आयोजन करेगे जिससे कोरोना की रोकथाम में लगे विभिन्न कार्मिक भी सुरक्षित रहें तथा अधोहस्ताक्षरी को आख्या प्रस्तुत करेंगे।
8	मूल्य नियंत्रण सेल	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी श्री अभिनव नौटियाल, सहायक निदेशक, डेरी विकास, उत्तरकाशी	मूल्य नियंत्रण सेल देहरादून ,ऋषिकेश एवं अन्य मण्डियो के सचिव मण्डी परिषद से समन्वय स्थापित कर आवश्यक वस्तुओं का दैनिक रूप से मूल्य प्राप्त करने के पश्चात जनपद में विक्रेताओं को प्राप्त होने वाले सामग्री के प्रतिदिन की दर का निर्धारण करेंगे। प्रतिदिन निर्धारित सामग्री के मूल्यों की सूची आवश्यक सामग्री आपूर्ति सेल को उपलब्ध करायेंगे। यदि किसी व्यापारी द्वारा नियत मूल्य से अधिक की दर पर सामग्री का विक्रय किया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सुंसगत अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे।

क्रमशः 4

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	कोरना रिस्पॉन्स टीम	समिति/अधिकारी का नाम	अभियुक्ति/दायित्व
	आवश्यक वस्तुओं/दवॉईयों की उपलब्धता एवं Over rating की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु टीम		
9	आवश्यक सामग्री/खाद्यान्न आपूर्ति सेल	प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी/सम्बन्धित उप जिलाधिकारी। सम्बन्धित तहसीलदार सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी। जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक राज्य कर अधिकारी, उत्तरकाशी	आवश्यक वस्तुओं यथा राशन, डीजल-पेट्रोल, एल0पी0जी0 गैस, सब्जियॉ-फल, दूध, आदि के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे: 1 Over rating की रोकथाम एवं छापेमारी करना तथा प्रत्येक विक्रेता की दुकान के आगे दैनिक रेट लिस्ट की सूची चस्पा करेंगे। 2. फ्लो चार्ट तैयार कर विभिन्न विक्रेताओं की Supply Chain Management की Mapping करना 3. आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण का रजिस्टर दैनिक रूप से अद्यतन किया जायेगा तथा तीन श्रेणी क्रमशः Green (Stock Availabilty 15 दिन) Red (Stock Availabilty 7 दिन) Alarming (Stock Availabilty 3 दिन) में विभाजित करते हुये सूचना संकलित कर उपलब्ध करायेंगे। 4. आवश्यक वस्तुओं के आवाजाही में उपयुक्त वाहनों (ट्रक, यूटीलिटी आदि) की सूची सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगे ताकि नियमित पास जारी किये जा सके। 5. प्रत्येक दिन जनपद में आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न/गैस/सब्जी/दूध आदि की आपूर्ति कितने व्यापारियों के प्रतिष्ठानां द्वारा की जा रही है तथा इस कार्य हेतु कितने वाहनों की आवाजाही प्रतिदिन हो रही है की सूचना विक्रेताओं के माध्यम से एकत्रित करने का कार्य करेंगे। 6. सम्बन्धित सेक्टर मजिस्ट्रेट से सेक्टरों में खाद्यान्न आपूर्ति एवं आवश्यक वस्तुओं तथा ईंधन की आपूर्ति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करेंगे।
10	होम डिलेवरी सेल	श्री सचिन कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी। श्री प्रमोद शुक्ला, सहायक निदेशक, मत्स्य, उत्तरकाशी। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक	जनपद में विभिन्न बाजारों के व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर होम डिलेवरी हेतु इच्छुक व्यापारियों की अद्यतन सूची मय होम डिलेवरी कर्मियों के रोस्टर के साथ उपलब्ध करायेंगे। दैनिक रूप से होम डिलेवरी द्वारा वितरित सामग्री को रजिस्टर तैयार करेंगे।
11	खान-पान व्यवस्था हेतु	प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी। जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी। सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	जनपद अन्तर्गत कोरोना संक्रमित होने के दृष्टिगत खान-पान की उचित व्यवस्था बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगे तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत बेघर/बेसहारा आदि के लिये पूर्ति निरीक्षक से समन्वय स्थापित कर भोजन तैयार कराना एवं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः......5

Scanned with CamScanner

10	कोरना रिस्पॉन्स टीम	समिति/अधिकारी का नाम	अभियुक्ति/दायित्व
	खान–पान व्यवस्था हेतु	सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत	
		जिला युवा कल्याण अधिकारी,	उत्तरकाशी शहर एवं समस्त जनपद हेतु चार–चार पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों की तैनाती कर उनके माध्यम से भोजन वितरित कराना सुनिश्चित करेंगे।
		सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।	भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
		प्रबन्धक ,गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तरकाशी।	प्रबन्धक ,गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तरकाशी दैनिक रूप से जिला पूर्ति अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर उत्तरकाशी शहर के बेघर/बेसहारा आदि के लिये भोजन तैयार कराना एवं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
12	साफ–सफाई सेनिटाईजिंग कार्य	परियोजना प्रबन्धक, स्वजल उत्तरकाशी।	जनपद की समस्त स्थानीय निकायों ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों नालियों, कूड़ा एकत्रण स्थलों आदि पर दैनिक रूप से नियमित साफ–सफाई, कूड़ा उठान/निस्तारण सेनिटाईजेशन सोडियम हाईपो क्लोराईड ब्लीचिंग,चूना इत्यादि हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही करते हुए दैनिक रूप से जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र उत्तरकाशी में उपलब्ध करायेगे। साथ ही उक्त कार्य में लगे स्वच्छक/पर्यावरण मित्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्थाए करना सुनिश्चित करें।
		अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।	
		सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत।	
		जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी।	
13	समन्वय स्थापित किये जाने का कार्य	श्री जयप्रकाश सिंह पवार, समन्वयक, आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी।	जनपद अन्तर्गत बाहर से आने वाले विदेशी/स्थानीय नागरिको जो जनपद में अवस्थित होटलों में निवास कर रहे है के सम्बन्ध में सम्बन्धित होटल संचालको से समन्वय स्थापित करते हुए प्रतिदिन की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूपानुसार उपलब्ध करायेगे।
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।	
14	अफवाह फैलाये जाने वाले व्यक्तियों पर विशेष निगरानी हेतु गठित टीम	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत अफवाह फेलाये जाने वाले अराजक तत्वों यथा सोशल मिडिया,व्हाट्सप, प्रिन्ट मिडिया आदि का प्रकरण मीडिया सेल या अन्य श्रोत्र से आने पर सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।
		सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक	
		निरीक्षक/उप निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई उत्तरकशी।	
		जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।	
		श्री अनिल सिंह रावत, ई–डिस्ट्रिक्ट मेनेजर, उत्तरकाशी।	
		श्री सुरेश कुमार, संरक्षक, जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी	
15	कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत निम्न सूचनायें प्राप्त करना	डेस्क आफिसर आदेश संख्या–200/तेरह–आ0प्र0प्राधि0/कोरोना/2020 दिनांक 23.03.2020 के द्वारा तैनात निम्न अधिकारीगण।	कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जनपद/खण्ड स्तरीय चिन्हिकरण टीम, से प्रतिदिन वार्ता करते हुए अद्यतन सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करेगे।
		श्री राजेन्द्र सिंह रावत, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरकाशी।	नागरिक आपूर्ति यथा खाद्यान्न/ईंधन/सब्जी/रसोईगेस दवॉइयां आदि के सुचारू आपूर्ति हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी रहेंगे।

क्रमश.....6

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	कोरना रिस्पॉन्स टीम	समिति/अधिकारी का नाम	अभियुक्ति/दायित्व
		श्री सुरेश तोमर, अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण, लो0नि0वि, चिन्यालीसौड।	हेल्प डेस्क प्रभारी।
		श्री गोपाल भण्डारी, मुख्य कृशि अधिकारी, उत्तरकाशी, जिला आलू एवं शॉक भाजी अधिकारी एवं जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी	समस्त जनपद अन्तर्गत कृषि, शॉक-भाजी, बागवानी हेतु बीज, कीटनाशक, पशु आहार आदि के नोडल।
		श्री प्रलयंकर नाथ, मुख्य पशु चित्साधिकारी, उत्तरकाशी।	बाहर से आने वाले प्रभावित व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना तथा जनपद/खण्ड स्तर चिन्हीकरण टीम से जनपद स्तर पर प्रत्येक दिन वार्ता करते हुये सम्भावित कोरोना संक्रमित विदेशी/ स्थानीय संदिग्ध व्यक्तियों का निम्नवत् चिन्हीकरण करेंगे- लाल श्रेणी- विदेशी नागरिक, पीला श्रेणी- अन्य राज्य से आये व्यक्ति जिनमे कोरोना सम्बन्धी लक्षण परिलक्षित हो रहें है की अद्यतन सूचना प्राप्त करेंगे तथा कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त जनपद हेतु पशु आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करवाते हुये दैनिक रूप से सूचना कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेंगे।
16		श्री विक्रम सिंह, जिला परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, उत्तरकाषी।	समस्त आंगनवाडी कार्यकत्रियों से बाहर से आये व्यक्तियों की सूचना को निम्नवत् चिन्हीकरण क्रमशः- लाल श्रेणी- विदेशी नागरिक, पीला श्रेणी- अन्य राज्य से आये व्यक्ति जिनमे कोरोना सम्बन्धी लक्षण परिलक्षित हो करते हुये अद्यतन सूचना प्राप्त करेंगे तथा कन्ट्रोल रून को उपलब्ध करायेंगे।एकत्रित कर दैनिक रूप से मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। समस्त आंगनवाडी कार्यकत्रियों से होम कोरानटाइन में रखे व्यक्तियों के सम्बन्ध, उनके स्वास्थ्य की अद्यतन सूचना एकत्रित करेंगे एवं प्रमाण पत्र के साथ दैनिक रूप से मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
		श्री प्रकाश खत्री जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।	समस्त जनपद अन्तर्गत होटल आदि से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार कन्ट्रोल रूम के नियंत्रण में आपातकाल की स्थिति में ठहराने की व्यवस्था करेंगे।
		श्री सचिन कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी।	परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास के निर्देशन मे कार्य करेंगे तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये अन्य निर्देश।
		श्री प्रमोद शुक्ला, सहायक निदेशक मत्स्य, उत्तरकाशी।	

Scanned with CamScanner

सं0	कोरना रिस्पॉन्स टीम	समिति/अधिकारी का नाम	अभियुक्ति/दायित्व
17	कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत प्रतिदिन अमिलेखीकरण, दैनिक रिपोर्ट/वी0सी0 से सम्बन्धित सूचना तैयार किये जाने हेतु सेल	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी उत्तरकाशी। श्री सुरेश नौटियाल, अपर अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी।	कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत दैनिक रूप से केन्द्र सरकार, शासन स्तर व जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त विभिन्न निर्देशों/प्रारूपों को संकलित कर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं निर्देशानुसार रिपोर्ट तैयार करते हुए प्रतिदिन सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। सम्बन्धित कार्मिको द्वारा शासन द्वारा प्रेषित प्रारूपानुसार प्रतिदिन दैनिक रिपोर्ट/ वी0सी0 से सम्बन्धित सूचना तैयार की जायेगी।
18	मीडिया मैनेजमेन्ट टीम	1 श्री चतर सिंह चौहान प्रभारी अधिकारी 2 श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी 3 अनिल विष्ट, आई0सी0 फेसिलिटेटर,जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी 4 श्री सुरेश कुमार, संरक्षक, सूचना विभाग, उत्तरकाशी 5 श्री आशीष भट्ट, का0 (एस0ओ0जी0) पुलिस कार्यालय, उत्तरकाशी।	कोरोना वायरस से सम्बन्धित दैनिक प्रेस–नोट जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र उत्तरकाशी में संकलित सूचनाओं के आधार पर प्रिन्ट/ इलैक्ट्रानिक मीडिया/सोशल मीडिया को जारी करना सुनिश्चित करें तथा अधाहेस्तक्षरी को अवगत करायेंगे।
चैक पोस्ट इन्चार्ज/मेनेजमेंट समिति– प्रत्येक वाहन में विभिन्न स्थानों से आने वाले प्रवासियों की प्रतिदिन की सूचना एकत्रित कर संलग्न प्रारूप पर सूचना दैनिक रूप से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, स्थानीय चिकित्सा अधिकारी एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी को उपलब्ध कराया जाना है जिस हेतु सर्विलांस टीम का गठन निम्न प्रकार किया गया है।			
19	चिन्यालीसौड़	श्री पंकज नौटियाल, प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, चिन्यालीसौड़ 01– श्री प्रवेन्द्र,(पुलिस का0) श्री अरविन्द,(पुलिस का0) श्री अमित कुमार(पुलिस का0)	प्रत्येक वाहन में विभिन्न स्थानों से आने वाले प्रवासियों की प्रतिदिन की सूचना एकत्रित कर संलग्न प्रारूप पर सूचना दैनिक रूप से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, स्थानीय चिकित्सा अधिकारी एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी को उपलब्ध कराया जाना है जिस हेतु सर्विलांस टीम गठित है। लॉक डाउन का पूर्णतः अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
	मोरी	श्री नवीन, सब इन्सपेक्टर, मोरी थाना। 02– श्री शूरवीर, (पुलिस का0) श्री जयपाल, (पुलिस का0) 03– श्री श्याम बाबू यादव(पुलिस का0)	
	डामटा	श्री राजेन्द्र पाल, सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 बड़कोट। 01– जितेन्द्र नेगी (पुलिस का0 02– अजय रावत (पुलिस कॉस्टेबल) 03– श्री सतीश जोशी	

क्रमश......8

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	कोरना रिस्पोन्स टीम	समिति/अधिकारी का नाम	अभियुक्ति/दायित्व
	धौन्तरी	श्री हरीश गैलाकोटी, सहायक अभियंता, लो0नि0वि0 प्रा0 खण्ड,उ0का	
		01– श्री भगवती प्रसाद उनियाल, वन दरोगा, सौरा	
		02– श्री प्रकाश चन्द्र शाह, वन रक्षक	
		03– श्री सतेन्द्र सिंह नेगी, वन रक्षक,	
	धौन्तरी पुलिस अस्थायी चौकी/बेरियर	उनि0 गिरीश चन्द्र बडोनी सहित कुल 09 पुलिस कार्मिक	
20	लैब कमिटी	डॉ0 अर्चना मोहन, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सैम्पल कलेक्शन सम्बन्धी समस्त कार्य।
21	होम कोरानटाइन अनुश्रवण समिति	डॉ0 सुजाता, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। सम्बन्धित तहसीलदार।	सम्बन्धित तहसीलदार के नेतृत्व मे गठित टीम अपने क्षेत्रान्तर्गत होम कोरानटाइन का अनुश्रवण एवं पालन करवायेगी। RBSK के टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का अनुश्रवण । होम क्वारनटइन सम्बन्धी पोस्टर संदिग्ध घरों में चस्पा करवाना। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये आदेश।
22	आई0ई0सी0 कन्ट्रोल रूम टीम	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	IEC सामग्री छपवाना तथा वितरित करवाना। विभिन्न समितियों से समन्वय करना तथा जनपद स्तरीय अनुश्रवण। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये आदेश।
		आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।	
		श्री शार्दुल गुसांई, कनिष्ठ अभियन्ता, आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी।	
		श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, अबकारी सहायक, जिला कार्यालय, उत्तकाशी।	
		केदार सिंह नेगी, ड्यूटी प्रभारी, जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र उत्तरकाशी।	
23	आकस्मिक प्लान तैयार करने हेतु टीम	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	किसी भी आपातकाल स्थिति का चिकित्सा निदेशलय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिये गये निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये आदेश।
		मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।	
24	आवश्यक सेवा टीम	मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी	जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र मे दैनिक रूप से उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं हेतु समन्वय कर निर्बाध आपूर्ति करवाना। सुनिश्चित करेंगे।
		जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी	
		अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।	
		अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, उत्तरकाशी	
		अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0, उत्तरकाशी	

क्रमशः 9

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	कोरना रिस्पॉन्स टीम	समिति/अधिकारी का नाम	अभियुक्ति/दायित्व
25	मार्जिनल सेक्टर सहायता टीम	समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, उत्तरकाशी।	जनपद के गरीब वर्ग/मजदूर/बेघर/बेसहारा आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही तथा दूरस्थ क्षेत्रों आवश्यक खाद्यान्न/भोजना आदि की व्यवस्था करना ।
26	तहसील स्तरीय कन्ट्रोल रूम	सम्बन्धित तहसीलदार सम्बन्धित थानाध्यक्ष सम्बधित सहायक खण्ड विकास अधिकारी। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	विकास खण्ड स्तर पर गठित चिन्हिकरण/स्वास्थ्य/ आदि टीम से समन्वय कर सम्भावित तत्काल कार्यवाही करेंगी। विकास खण्ड स्तर पर एक कोरोना नियंत्रण कन्ट्रोल रूम की स्थापना 24 घंटे कार्यशील रहते हुये जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में निरन्त सम्पर्क में रहेंगे।
27	संक्रमण रोकथाम टीम	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी। सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक। सम्बन्धित तहसीलदार सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद उत्तरकाशीं सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	तहसील स्तर पर कोरोना के रोकथाम हेतु गठित टीम से समन्वय कर निगरानी करना।
28	वाररूम प्रभारी, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी। डॉ0 विश्वास, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। डॉ0 सुजाता, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। श्री जय प्रकाश पंवार, समन्वयक आपदा प्रबन्धन कार्यालय	जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपद में बाहर से आये नागरिकों की प्रति दिन स्वास्थ्य जांच, कोरोना संदिग्ध लोगों की निगरानी करना/कोरोना के Isolation/Quarantine Centre भर्ती मरीजों का अनुश्रवण करना तथा दैनिक रूप से सूचना उपलब्ध कराना। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये निर्देशों का पालन करना।
29	मृत शवों के प्रबन्धन हेतु टीम	डॉ0 बी0एस0 रावत, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। डॉ0 तरूण बुकेश्वर, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। सम्बन्धित लौगिंग, प्रबन्धक। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।	कोरोना से मृत लोगों के शवों के गाईड लाइन के अनुरूप निस्तारण आदि आवश्यक तैयारियों का प्रबन्धन कर शव का Dead Body Management Protocol के तहत निस्तारण करना।
30	एम्बुलेंस प्रबन्धन टीम	डॉ0 बी0एस0 रावत, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	कोरोना के मरीजों हेतु सुचारू रूप से एम्बुलें का प्रबन्धन करेगे। एम्बुलेंस की सूचि तैयार कर सम्बन्धित एम्बुलेंसको रोस्टरवार तैनात करेंगे। एम्बुलेंस चालकों के दूरभाष/पता संरक्षित रखेंगे।

क्रमशः......10

Scanned with CamScanner

क0सं0	कोरना रिस्पॉन्स टीम	समिति/अधिकारी का नाम	अभियुक्ति/दायित्व
31	**कार्मिक प्रबन्धन टीम**	जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी। प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन, उत्तरकाशी।	कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु सम्बन्धी गठित टीमों से समन्वय स्थापित कर उक्त को आवश्यकता के अनुसार कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
32	**हेल्प डेस्क**	श्री सुरेश तोमर, अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण, लो0नि0वि, चिन्यालीसौड। श्री यशवन्त कपूर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), उत्तरकाशी। श्री गीताराम उनियाल, कार्यालय सहायक, निर्वाचन कार्यालय, उत्तरकाशी।	सम्बन्धितों से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्थाओं सम्बन्धी शिकायतों/समस्याओं का निस्तारण करना।
33	**परिवहन सेल**	सहायक सम्भागीय, परिवाहन अधिकारी, उत्तरकाशी जय प्रकाश सिंह पंवार, समन्वयक, आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी। प्रशासनिक अधिकारी, नजारत अनुभाग जिला कार्यालय, उत्तरकाशी। सामान्य सहायक, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।	जनपद अन्तर्गत समस्त विभागों, टैक्सी, युनियनों, बस यूनियन, यूटिलीटि एवं छोटे माल वाहक वाहन, ट्रक आदि के सम्बन्ध में दर निर्धारित करेंगे एवं सूचना संकलित कर आवश्यकतानुसार कन्ट्रोल रूम से समन्वय स्थापित कर वाहनों की निरन्तर उपलब्धता मय वाहन चालक 24X7 सुनिश्चित करेंगे तथा कन्ट्रोल रूम एवं वाररूम के निर्देशानुसार वाहनों को तैनात करेंगे।
34	**सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय हेतु सेल**	मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी। सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड, उत्तरकाशी। सामान्य सहायक/नायब नाजिर, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।	जनपद स्तर पर विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली धनराशि एवं आवश्यक वस्तुओं (यथा खाद्यान्न वस्तुयें, मास्क/ग्लब्ज/सेनेटाईजर/ दवाईयां आदि का पंजिकरण करना, भण्डारण करना, कन्ट्रोल रूम को अवगत कराना तथा आवश्यकतानुसार कन्ट्रोल रूम के निर्देशन में वितरण कार्य। सामान्य सहायक/नायब नाजिर, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी उक्त के भण्डारण हेतु मिलन केन्द्र भवन एवं ऑडिटोरियम हाल उपलब्ध कराकर वितरण कार्य में सहयोग देंगे।

क्रमशः......11

Scanned with CamScanner

क0सं0	कोरना रिस्पॉन्स टीम	समिति/अधिकारी का नाम	अभियुक्ति/दायित्व
35	मजदूरों के स्वास्थ्य सम्बन्धी सत्यापन सेल	अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, भटवाडी/उत्तरकाशी/चिन्यालीसाड/ बडकोट/ पुरोला। अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी/उत्तरकाशी/चिन्यालीसौड/बड कोट/पुरोला । अवर अभियन्ता/सहायक, लघु सिंचाई, जनपद उत्तरकाशी। अवर/सहायक अभियन्ता, सिंचाई उत्तरकाशी।	जनपद अन्तर्गत विभिन्न निर्माणदायी संस्थाओं (सर्वऋतु मार्ग आदि) में ठेकेदारों/निर्माण कम्पनियों में कार्यरत मजदूरों की संख्या तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी सम्बन्धी सर्वेक्षण की संख्या सहित विवरण करायेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायेंगे कि जनपद अन्तर्गत समस्त मजदूरों का सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के दैरान मजदूरों में सर्दी, जुखाम, खासी गले मे दर्ज, तेज बुखार, दस्त, छींक आना आदि लक्षण तो नहीं दिखायी दे रहे है। जनपद में रूके मजदूरों के ठहरने एवं भोजन आदि की व्यवस्था सम्बन्धित ठेकेदार/विभाग द्वारा की जा रही है यह भी सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त आदेश समय–समय पर निर्गत शासनादेशों, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्राविधानों तथा महामारी अधिनियम–1897 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत किया जा रहा है, उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध सुसंगत विभागीय नियमों,कर्मचारी आचरण नियमावली के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के अर्न्तगत दण्डनीय होगा।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–252 तेरह–आ0प्र0प्राधि/ CoVID-19) /2020 दिनांक–26 मार्च, 2020

प्रतिलिपिः– **निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव– मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव महोदय, मा0 श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल, पौडी।
6. पुलिस अधीक्षक,उत्तरकाशी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
9. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
11. समस्त तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।
12. उपरोक्त समस्त तैनात अधिकारी/कर्मचारीगणों के अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

दिनांक 26 मार्च 2020 ।

संख्या: 461 /पी0ए0(अ0जि0अधि0/COVID-19/2020

जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी,
उत्तरकाशी ।

विषय:- राज्य में कोराना वायरस आपदा के चलते होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या ई-47/कोरोना/2019-20/479 दिनांक 24 मार्च 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद में संचालित होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं को खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश चाहे गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में राज्य कोराना वायरस के संक्रमण को आपदा अधिसूचित किया गया है, जिसमें आपके विभाग की सेवायें भी आवश्यक सेवाओं में है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि आम जन-मानस एवं रोगियों की आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं के मध्येनजर जनपदान्तर्गत आपके संचालित होम्योपैथिक चिकित्सालय, कार्यालय/डिस्पेंसरी खुली रखी जाए। उक्त के सम्बन्ध में आप अपने विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पास जारी करवाना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
2. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी/डुण्डा/बड़कोट/पुरोला को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने परगनान्तर्गत संचालित होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं उनके कार्यालयों में तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को पास जारी करना सुनिश्चित करें। ।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।
26/3/2020

:: आदेश ::

वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत सम्पूर्ण देश लॉक डॉउन होने के कारण राज्य में ऐसे असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे सन्निर्माण श्रमिकों/व्यक्तियों जिनके पास कोई पंजीकरण/परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है की संख्या का निर्धारण कर उन्हें मूलभूत खाद्य सामग्री किट उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 932/31-17/27/2020 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से जनपद के लिए रूपये 200.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है।

उपरोक्त के क्रम में जनपद में ऐसे श्रमिकों/व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करने जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण बेरोजगार हो रहे हैं। जनपद में ऐसे श्रमिकों/व्यक्तियों को चिन्हित किया जाना है जिनके पास न तो राशन कार्ड है एवं न ही सन्निर्माण श्रमिकों के रूप में लाभ प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रथमतः चिन्हित व्यक्तियों को मूलभूत खाद्य सामग्री किट व आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की जानी है।

अतः उपरोक्त शासनादेश के क्रम में जनपद में ऐसे श्रमिकों/व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

शहरी क्षेत्र में श्रमिकों के निर्धारण हेतु नामित अधिकारी	ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों के निर्धारण हेतु नामित अधिकारी
1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में । 2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट/बडकोट चिन्यालीसौड/नौगाँव/पुरोला 3. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में । 2. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी 3. समाज कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकासखण्ड ।

अतः शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों/व्यक्तियों जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण बेरोजगार हो रहे है तथा जिनके पास न तो राशन कार्ड है एवं न ही सन्निर्माण श्रमिक के रूप में लाभ प्राप्त कर रहे है ऐसे श्रमिकों/व्यक्तियों का चिन्हीकरण उपरोक्तानुसार अधिकारी तत्काल करते हुए श्रमिक/व्यक्तिवार विवरण जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी एक प्रति जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र उत्तरकाशी को उपलब्ध करायेंगे। श्रमिकों/व्यक्तियों के चिन्हीकरण में पारदर्शिता का समुचित

अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी श्रमिक/व्यक्ति को खाद्यान का संकट उत्पन्न न होने पाय ।

जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी शासनादेशानुसार/नियमानुसार मूलभूत खाद्य सामग्री किट तैयार करवाना सुनश्चित करेंगे। उपरोक्त कार्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल व वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(डा0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्याः 247 /तेरह-कोविड-19/2020 दिनांक 27 मार्च 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषितः-

1. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट/ बडकोट/ चिन्यालीसौड/ नौगॉंव/ पुरोला।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी ।
3. खण्ड विकास अधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/चिन्यालीसौड/नौगॉंव/पुरोला/मोरी।
4. उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला।
5. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी ।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

Scanned with CamScanner

::आदेश::

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिनों के लिए लॉक डाउन किया गया है। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाणिज्यक प्रतिष्ठान/दुकानें प्रातः 7:00 बजे से 10:00 बजे तक खुली रहेगी।

जनपद में आटे की आपूर्ति सुचारू रखने हेतु आटा चक्कियों को 10:00 बजे के पश्चात भी परिचालन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 10:00 बजें के पश्चात आटा चक्कियों से आटे का विक्रय नही किया जायेगा। 10:00 बजे के पश्चात आटा चक्कियों से केवल आटा तैयार करने का कार्य किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–243 /तेरह–आ0प्राधि0/कोरोना/2020 *दिनांक–26 मार्च, 2020*

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. समस्त उप जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
5. जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी।
4. समस्त आटा चक्की स्वामी जनपद उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

आदेश ::

(CoVID-19) के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र संख्या 200/तेरह–आ0प्र0प्राधि0/कोरोना/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 के द्वारा सेक्टर प्रभारी के रूप में पुरोला बाजार क्षेत्र हेतु श्री आर0पी0 चमोली, अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला को नामित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त अधिकारी को कार्यमुक्त करते हुये उनके स्थान पर निम्न अधिकारी की तैनाती की जाती है। नियुक्त अधिकारी तत्काल संबधित पुलिस प्रभारियों से सम्न्वय स्थापित करते हुए प्रतिदिन की सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें।

पुरोला

क्र.सं	सेक्टर प्रभारी	पुलिस सेक्टर प्रभारी का नाम	क्षेत्र
1	श्री सुभाष कुमार दुरियाल, सहायक अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला। 9917570303	उ0नि0, चन्द्रशेखर नौटियाल, प्रभारी, चौकी बाजार उ0नि0, बलवीर सिंह	पुरोला बाजार

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
25/3/2020

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–228 /तेरह–आ0प्राधि0/कोरोना/2020 *दिनांक– 25 मार्च, 2020*

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. श्री आर0पी0 चमोली अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला।
5. उपजिलाधिकारी, पुरोला।
4. श्री सुभाष कुमार दुरियाल, सहायक अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

- आदेश -

जिला चिकित्सालय में उपचार करा रहे कतिपय मरीजों को चिकित्साधिकारी द्वारा उपचार हेतु उच्च चिकित्सा केन्द्रों हेतु रेफर किया जा रहा है। अतः निर्देश दिये जाते है कि जिन बीमार व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय द्वारा उच्च चिकित्सा केन्द्रों हेतु उपचारार्थ रेफर किया जा रहा है उनके रेफर आदेश/टिप्पणी में यह भी आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाय कि वह जनपद से बाहर किसी भी शासकीय अथवा निजी उच्च चिकित्सा केन्द्रों में अपना उपचार करवा सकते है। उक्त आदेश पूर्णतः अस्थायी है तथा COVID-2019 की पाबन्दियों के सामान्य होने पर स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।

संख्या 172 /एस0पी0ए0/2020 दिनांक मार्च, 26 2020

प्रतिलिपि- निम्नांकित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
2- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
3- जिला समन्वयक, 108 आपातकालीन सेवा, उत्तरकाशी।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक वर्तमान समय में कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने तथा इससे सुरक्षा के दृष्टिगत सम्बन्धित सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान हेतु आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी (नियंत्रण कक्ष) में निम्नांकित कर्मियों की तैनाती दिनांक 24.03.2020 से उनके नाम के सम्मुख अंकित समय के अनुसार अग्रम आदेश तक की जाती है। तैनाती के समय परिचालन केन्द्र में आपदा से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान–प्रदान तथा उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

तैनाती का समय	नाम / पदनाम	विभाग
5 PM TO 10 PM	श्री नवीन कुमार, अपर सख्याधिकारी	अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय
	श्री कुलदीप सिंह गुसाई, कनिष्ठ सहा0	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उ0का0
10 PM TO 5 AM	श्री मनोज कुमार, अपर संख्याधिकारी	अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय
	श्री राहुल, कनिष्ठ सहायक	अवस्थापना खण्ड
10 PM TO 5 AM	श्री बिशेश्वर प्रसार,ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक	मत्स्य
	श्री सुनील सिंह विष्ट, वरिष्ठ सहायक	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उ0का0

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–226/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक25 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कर्मियों को नियत तिथि व समय पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी में तैनाती देने हेतु निर्देशित करें।

1. अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी।
4. सहायक निदेशक, मत्स्य पालन, उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अन्तर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या 40–2/2020–DM-I (A) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्यकरणी समिति के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनिमय–2005 की धारा 69 के तहत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिये जनता कर्फ्यू एवं लॉक डाउन लागू किया गया तथा शासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने के रोकथाम व बचाव हेतु तैयारी के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना वायरस की रोकथाम व बचाव के कार्यो के उपयोगार्थ आपदा प्रबन्धन अधिनियम– 2005 की धारा 65 एवं Epidemic act के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों का प्रयोग करते हुये जिला मुख्यालय पर स्थित गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तरकाशी को दिनांक 26.03.2020 से अग्रिम आदेशों तक अधीगृहित किया जाता है।

उक्त आदेश त्तकाल प्रभाव से लागू होंगे।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 236 तेरह–आ0प्र0प्राधि/ CoVID-19) /2020 दिनांक– 25 मार्च, 2020

प्रतिलिपिः

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रबन्धक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तरकाशी
5. उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना (CoVID-19) को अन्तर्राष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिये जनता कर्फ्यू एवं लॉक डाउन लागू किया गया है।

संज्ञान में आया है कि जनपद के पंचायत क्षेत्रों में सफाई/कोरोना रोकथाम सम्बन्धी दवाओं का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। जिस कारण गन्दगी फैलने से पंचायत क्षेत्रों में उक्त महामारी के फैलने की सम्भावना से अवगत कराया गया है। उक्त के दृष्टिगत अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी को निर्देश दिये जाते है कि पंचायत क्षेत्रों में तत्काल सफाई/कोरोना रोकथाम सम्बन्धी दवाओं का छिड़काव करवाना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही/प्रगति आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें। उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–234/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 25 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकितों को अपरोक्तानुसार शीघ्र अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तकराशी।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना (CoVID-19) को अर्न्तराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है, फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (covid-19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिये जनता कर्फ्यू एवं लॉक डाउन लागू किया गया है।

जनपद अन्तर्गत विभिन्न निर्माणदायी संस्थाओं में ठेकेदारों/निर्माण कम्पनियों में कार्यरत मजदूरों की संख्या तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी सम्बन्धी सर्वेक्षण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है।

1. अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, भटवाडी/उत्तरकाशी/चिन्यालीसौड/बडकोट/पुरोला।
2. अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी/उत्तरकाशी/चिन्यालीसौड/बडकोट/पुरोला ।
3. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तरकाशी।
4. अवर अभियन्ता/सहायक, सिंचाई, जनपद उत्तरकाशी।

अतः उपरोक्त समिति को निर्देश दिये जाते है कि तत्काल जनपद अन्तर्गत विभिन्न निर्माणदायी संस्थाओं में ठेकेदारों/निर्माण कम्पनियों में कार्यरत मजदूरों की संख्या तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी सम्बन्धी सर्वेक्षण कर आख्या एवं संलग्न प्रारूप मजदूरों का विवरण करायेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायेंगे कि जनपद अन्तर्गत समस्त मजदूरों का सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान मजदूरों में सर्दी, जुखाम, खासी गले मे दर्ज, तेज बुखार, दस्त, छींक आना आदि लक्षण तो नहीं दिखायी दे रहे है।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–235 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 25 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– 1 उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों के अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. समस्त कार्यदायी संस्था/निर्माण कम्पनियों को निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने नियत्रणाधीन में कार्यरत मजदूरों का विवरण उपरोक्त समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 230 /तेरह–आ0प्राधि0/कोरोना/2020 दिनांक– 25 मार्च, 2020

समस्त सुपर जोनल/जोनल/ सेक्टर प्रभारी।
जनपद उत्तरकाशी।

विषय– **कोरोना वायरस के संक्रमण के सम्बन्ध में जारी एडवयजरी/निर्देशों के अनुपालन हेतु नामित सुपर जोनल, जोनल व सेक्टर प्रभारियों द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 200/तेरह–आ0प्र0प्राधि0/कोरोना/2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 के द्वारा कोरोना वायरस (CoVID-19) संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत लॉक–डाउन की समयसीमा समाप्त होने तक शासन द्वारा जारी एडवयजरी/निर्देशों के अनुपालन हेतु आपको सुपर जोनल, जोनल व सेक्टर प्रभारी के रूप में तैनात किये गये थे। परन्तु आपके द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कोरोना वायरस (CoVID-19) संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत लॉक–डाउन सम्बन्धी शासन द्वारा जारी एडवयजरी/निर्देशों के अनुपालन कराते हुये विभिन्न दुकानों, गैस ऐजन्सी एवं बैंक/ए0टी0एम0 में कतारों में लगे लोगों के बीच एक मीटर की दूरी बनाये रखनें, क्षेत्रान्तर्गत विद्युत, पेयजल, सड़क व लोगों की कोरोना संक्रमण सम्बन्धी एवं आवश्यक वस्तुओ/सेवाओं सम्बन्धी शिकायतों का समाधान करते हुये दैनिक रूप से आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिशिचित करेंगे।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक वर्तमान समय में कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने तथा लॉक डाउन की अधिसूचना जारी की गयी है। उक्त के दृष्टिगत आमजनमानस समस्याओं का सम्बन्धितों से समन्वय कर निराकरण करने हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। उक्त " **हेल्प डेस्क**" में इस कार्यालय के आदेश पत्र 218 दिनांक 24.03.2020 के द्वारा तैनात कार्मिक एवं निम्नांकित अधिकारियों/कार्मियों की तैनाती अग्रिम आदेश तक की जाती है। उक्त दूरभाष एवं हेल्प डेस्क पर प्राप्त आवश्यक व्यवस्थाओं सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण करेंगे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

क्र.सं.	नाम/पदनाम
1	श्री सुरेश तोमर, अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण, लो0नि0वि, चिन्यालीसौड।
2	श्री यशवन्त कपूर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत), उत्तरकाशी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–231/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 25 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– उपरोक्त कार्मिकों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (covid- 19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 25.03.2020 से आगामी 21 दिन के लिये जनता कर्फ्यू एवं लॉक डाउन लागू किया गया है।

लॉक डाउन से नगर पालिका/नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निवासरत बेघर/निराश्रित/बेसहारा/बिखारी/साधुओं को खाद्यान्न/भोजन की समस्या उत्पन होना सम्भावित है। जिसके दृष्टिगत नगरों में निवासरत ऐसे लोगों का चिन्हिकरण करना आवश्यक है, जिससे कि इन्हें खाद्यान्न/भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

अतः उक्त के क्रम में समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायतों को आदेशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नगरों में बेघर/निराश्रित/बेसहारा/ भिखारी/साधुओं का सर्वेक्षण/चिन्हित करते हुये विवरण सहित जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक अधिशासी अधिकारी, नगर पलिका/नगर पंचायत इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगें कि उनके नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत समस्त बेघर/निराश्रित/बेसहारा/ भिखारी/साधुओं का चिन्हिकरण किया गया है।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–232/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक 25 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :– **निम्नांकितों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।**

1. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट/बडकोट।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चिन्यालीसौड/नौगांव/पुरोला।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला आपदा प्रंबधन प्राधिकरण उत्तरकाशी।

पत्रांक : 229/एस0पी0ए0 2019–20

दिनांक : 25 मार्च 2020

विषय : कोविड–19 के संक्रमण/प्रसार की रोकथाम हेतु त्वरित कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग देहरादून के पत्र संख्या 392/XXVIII/20-1(06)/2020 टी0सी0 दिनांक 24.03.2020 के अनुपालन में Covid-19 के संक्रमण/प्रसार की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियों के सापेक्ष तीन माह/90 दिन तक के लिये यथा आवश्यक/यथा अपेक्षित कार्मिकों को आउटसोर्स के माध्यम से तैनात करने हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है।

01. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
02. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
03. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
04. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।

उक्त समिति स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों का आंकलन करने के सम्बन्ध में 02 दिवस में आवश्यक कार्यवाही कर अवगत करायेंगे।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि– उपरोक्त समिति के समस्त सदस्यगण जनपद उत्तरकाशी को परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (CoVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक लॉक-डाउन सम्बन्धी शासन की अधिसूचना संख्या-217/UKMFWS/PS-MDNNM/2019-20 दिनांक 22.03.2020 के क्रम में पारित इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या- 197/तेरह-आ0प्र0प्राधि0(CoVID-19)/2020 दिनांक 22.03.2020 तथा संख्या-213/तेरह-आ0प्र0प्राधि/CoVID-19/2020 दिनांक- 23-03-2020 में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है:-

1. अन्तर्राज्जीय सीमाओं के साथ-साथ अन्तर्जनपदीय सीमाओं को भी तत्काल प्रभाव से सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।
2. मेडिकल की दुकाने पूरे समय खुली रहेगी।
3. प्रात: 07:00 बजे से प्रात 10:00 बजे तक बैक, जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित बैक, ए0टी0एम0 तथा कोषागार आम जनता के लिए खुले रहेंगे तथा प्रात: 10:00 से 12:00 तक श्रम विभाग के अन्तर्गत पंजिकृत निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता संबंधी कार्यो का संचालन किया जायेगा। बैंक/कोषागार कार्मिकों को 12:30 बजे तक घर जाने की अनुमति अनुमन्य होगी।
4. टेलीफोन/दूरसंचार व पोस्टल, इंटरनेट सर्विस तथा केवल-आपरेटर के कार्यो हेतु छुटी रहेगी।
5. खाद्य आपूर्ति व उसकी श्रृंखला प्रबन्धन से संबंधित वाहनों को किसी भी चैक पोस्ट पर नही रोका जायेगा, जिसमें पशुओं हेतु खाद्य सामग्री भी सम्मिलित है।
6. उक्त निर्देश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

अत: पूर्व आदेश संख्या-197/तेरह-आ0प्र0प्राधि0(CoVID-19)/2020 दिनांक 22.03.2020 एवं संख्या-213/तेरह-आ0प्र0प्राधि/CoVID-19/2020 दिनांक- 23-03-2020 में उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष आदेश यथावत रहेगा।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी

कृपया:............2

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 220 /तेरह–आ0प्र0/कोरोना वायरस/2020 दिनांक– 24 मार्च, 2020

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

विषय– **कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत अत्यधिक संख्या में संक्रमित व्यक्तियों की दशा में टैण्ट सुविधा एवं भोजन पैकेट की आपूर्ति के सम्बन्ध में मूल्य निर्धारण विषयक।**

उपरोक्त विषयक वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण का अत्यधिक खतरा बढ़ गया है। उक्त के दृष्टिगत भविष्य में यदि जनपद में अत्यधिक संख्या में लोग संक्रमित होते हैं तो उस स्थिति में उनके रहने के लिए टैण्ट, उपचार व भोजन आदि की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी। अथवा लॉक डाउन अवधि बढाये जाने पर लोगों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत व्यवस्थायें की जानी आवश्यक होगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में ही उपचार, टैण्ट सुविधा/भोजन पैकेट संक्रमित व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए एवं असहाय एवं बेघर व्यक्तियों हेतु फूड पैकेट की व्यवस्था हेतु स्थानीय बाजार का सर्वे कर दिनांक 25.03.2020 तक मूल्य निर्धारण करना सुनिश्चित करें ताकि आपात स्थिति में तत्काल आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाऐं की जा सकें।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–216 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020

सेवा में ,

पुलिस अधीक्षक,
उत्तरकाशी।

विषयः– धौन्तरी के पास अस्थायी चोकी/बेरियर खोले जाने के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयक वर्तमान में कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौट रहें है। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है तथा कोरोना से सम्बन्धित कोई लक्षण न पाये जाने पर भी सम्बन्धित को 14 दिनों की अवधि तक घर पर ही पृथक रख कर होम संगरोधन (Home QUARANTINE) में निगरानी की जानी है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि धौन्तरी उप तहसील के पास टिहरी जनपद से लगे अन्तरजनपदीय बॉडर से आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन परीक्षण हेतु एवं राज्य सरकार के लॉक डाउन आदेश के क्रियान्वयन हेतु अस्थायी पुलिस चौकी/बेरियर शीघ्र स्थापित करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

<u>प्रतिलिपिः–</u> निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अस्थायी पुलिस चौकी पर यात्रियों के कोरोना वायरस से सम्बन्धित जांच हेतु एक स्वास्थ्य टीम तैनात करना सुनिश्चित तत्काल तैनात करना सुनिश्चित करें।
3. नायब तहसीलदार, धौन्तरी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
देहरादून।

2. जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 219 /तेरह–आ0प्र0/कोरोना/2020

दिनांक– 24 मार्च, 2020

विषय– **कोरोना वायरस (Covid-19) के दृष्टिगत अन्य जनपदों से आवागमन कर रहे वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा आप विदित हैं कि कोरोना वायरस (Covid-19) को महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण का अत्यधिक खतरा बढ़ गया है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में पूर्ण लॉक–डाउन तथा धारा–144 का प्रख्यापन किया जा चुका है। उक्त के बावजूद जनपद देहरादून व टिहरी गढ़वाल से बडी संख्या में वाहन जनपद उत्तरकाशी के लिए भेजे जा रहे हैं। उक्त वाहनों को जनपद की सीमा पर रोकने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा इससे सीमा पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सीमावर्ती जनपदों से वाहनों से लोगों को जनपद उत्तरकाशी में आने से वास्तविक लॉक–डाउन का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है।

अतः अनुरोध है कि जनपद उत्तरकाशी के ऐसे स्थानीय नागरिकों को जिनका वहॉ घर अथवा रिश्तेदार नहीं है, उन्हें अपने जनपद में लॉक–डाउन अवधि तक किसी व्यवस्था में ठहराने हेतु अपने अधीनस्थ प्रशासनिक एवं पुलिस के सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. पुलिस अधीक्षक, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
5. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या–216 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक 24 मार्च, 2020

सेवा में ,

पुलिस अधीक्षक,
उत्तरकाशी।

विषयः– **धौन्तरी के पास अस्थायी चोकी/बेरियर खोले जाने के सम्बन्ध में**

उपर्युक्त विषयक वर्तमान में कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों एवं अन्यत्र राज्यों के प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौट रहें है। जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है तथा कोरोना से सम्बन्धित कोई लक्षण न पाये जाने पर भी सम्बन्धित को 14 दिनों की अवधि तक घर पर ही पृथक रख कर होम संगरोधन (Home QUARANTINE) में निगरानी की जानी है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि धौन्तरी उप तहसील के पास टिहरी जनपद से लगे अन्तरजनपदीय बॉडर से आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन परीक्षण हेतु एवं राज्य सरकार के लॉक डाउन आदेश के क्रियान्वयन हेतु अस्थायी पुलिस चौकी/बेरियर शीघ्र स्थापित करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अस्थायी पुलिस चौकी पर यात्रियों के कोरोना वायरस से सम्बन्धित जांच हेतु एक स्वास्थ्य टीम तैनात करना सुनिश्चित तत्काल तैनात करना सुनिश्चित करें।
3. नायब तहसीलदार, धौन्तरी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

आदेश ::

कोरोना वायरस (Covid-19) को महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण का अत्यधिक खतरा बड़ गया है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में पूर्ण लॉकडाऊन तथा धारा–144 का प्रख्यापन किया जा चुका है। संज्ञान में आया है कि गैस ऐजन्सियों के द्वारा गोदाम से गैस का वितरण किया जा रहा है, जिससे वहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। इससे कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की पूर्ण सम्भावना है। लोगों का इस प्रकार ऐजन्सी में एकत्रित होना लॉकडाऊन एंव धारा–144 के प्रख्यापन का उल्लघंन है।

अतः उक्त के दृष्टिगत समस्त गैस ऐजन्सियों को आदेशित किया जाता है कि गैस के वितरण **लाईन लगाकर न किया जाय**। समस्त गैस एजन्सियाँ दिनांक 31.03.2020 तक गैस की **होम डिलवरी उपभोक्ताओं को करना सुनिश्चित करें**। गैस का वितरण प्रातः 7 से 10 बजे की समयसीमा के पश्चात भी किया जा सकता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इसमें किसी भी प्रकार की अवहेलना करने पर सम्बन्धित ऐजन्सी के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुसंगत धाराओं तथा आई0पी0सी0 की धारा–188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 215 /तेरह/आपदा प्रा0/कोरोना-19 दिनांक– 24 मार्च, 2020

प्रतिलिपिः

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल जनपद की समस्त गैस ऐजन्सियों को उक्त आदेश से अवगत कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
3. समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (CoVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक लॉक–डाउन सम्बन्धी शासन की अधिसूचना संख्या–217/UKMFWS/PS-MDNNM/2019–20 दिनांक 22.03.2020 के क्रम में पारित इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या–197/तेरह–आ0प्र0प्राधि0(CoVID-19)/2020 दिनांक 22.03.2020 में निम्नलिखित शर्ते भी शामिल रहेंगी–

1. पूर्व आदेश संख्या– 197/तेरह–आ0प्र0प्राधि0 (CoVID-19)/2020 दिनांक 22.03.2020 के क्रमांक 14 व 15 वर्णित दैनिक आवश्यकता सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित दुकानें प्रातः 07 बजे से प्रात 10:00 बजे तक ही खुली रहेंगी।
2. उक्त अविध प्रातः 07 बजे से प्रात 10 बजे तक जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित बैंक, ए0टी0एम0 तथा कोषागार भी खुले रहेंगे तथा सम्बन्धित बैंक व कोषागार अधिकतम उतने ही कार्मिकों को कार्यालय में बुलाया जायेगा जितने आवश्यक हो।
3. लॉक–डाउन के अन्तर्गत सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सभी कार्यालय चाहें वह केन्द्र सरकार के अधीन हो अथवा उत्तराखण्ड राज्य के अधीन हो बन्द रहेंगे।
4. जनपद में स्थित पेट्रोल पम्प पूरी अवधि में खुले रहेंगे। परन्तु स्थल पर मात्र एक डीजल व एक पेट्रोल पम्प मशीन ही क्रियाशील रखी जायेगी ताकि पेट्रोल पम्प पर कार्मिकों की संख्या सीमित रह सके।
5. पूर्वान्ह में 10 बजे के बाद केवल उन्हीं व्यक्तिगत वाहनों के आवागमन को छूट रहेगी जो वास्तविक रूप से मरीज को उपचार हेतु ला व ले जा रहें हो।
6. जिन कम्पनियों व निर्माण इकाईयों में Continuous Process अपरिहार्य है, उन कम्पनियों में श्रमिकों के प्रवेश करने के पश्चात उनके भोजन इत्यादि तथा प्रभास की व्यवस्था वहीं पर सम्बन्धित कम्पनी प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
7. जहां कहीं निर्माण कार्य गतिमान है वहां पर सम्बन्धी मजदूरों की सुरक्षा व समुचित खाने–पीने तथा स्थल पर ही प्रवास की व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
8. जिन होटलों में पर्यटक अथवा कोई व्यक्ति पूर्व से रूका है उससे जबरन होटल खाली करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।

अतः पूर्व आदेश संख्या–197/तेरह–आ0प्र0प्राधि0 (CoVID-19)/2020 दिनांक 22.03.2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी

क्रमशः.........2

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

संख्या– 213 तेरह–आ0प्र0प्राधि/CoVID-19/2020 दिनांक– 23 मार्च, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव– मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव महोदय, मा0 श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल, पौडी।
6. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
9. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
11. समस्त तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।
12. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।
13. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।

जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

::आदेश::

वर्तमान समय में कोरोना वायरस (covid-19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। जिस हेतु आपके विभाग की ऑगनबाडी कार्यकत्री को उनके ग्रामों में आने वाले देशी/विदेशी नागरिकों की सूची तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है उनके द्वारा सूचनाऐं एकत्रित कर जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में संकलित कर सक्षम अधिकारी को उपलब्ध करने के निर्देश श्री संन्दीप राणा, संगणक बालविकास विभाग उत्तरकाशी एवं राहुल कम्पयूटर ऑपरेटर वन स्टोप सेन्टर उत्तरकाशी की तैनाती अग्रिम आदेशों तक जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें

उक्त आदेशों का अनुपालन न करने पर आपके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रभारी अधिकारी
कृते– जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

कार्यालय, अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–212 /तेरह–आ0प्र0/(कोरोना–19)/2020 दिनांक–23 मार्च, 2020

प्रतिलिपि:– 01 जिला परियोजना अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त कार्मिक को तत्काल जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थिति होने हेतु निर्देशित करें।

प्रतिलिपि:– 02 उपरोक्त कार्मिक के अनुपालानार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–03 आपदा प्रबन्धन अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी
कृते– जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–21 / आ0प्र0प्रा0 (COVID-19) / 2020 दिनांक 23 मार्च, 2020

विषयः– होम संगरोधन (Home QUARANTINE)में रहने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वर्तमान समय में कोरोना वायरस (COVID – 19द्ध को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। आपके द्वारा अन्यत्र राज्यों / जनपदों / विदेशों से जनपद में आवागमन किया गया है। आप अपना स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से करवाये तथा कोरोना से सम्बन्धित कोई लक्षण न पाये जाने पर भी 14 दिनों की अवधि तक घर पर ही परिवार एवं अन्य लोगों से पृथक रह होम संगरोधन (Home QUARANTINE) में निम्न निर्देशों का पालन करें

1. होम संगरोधन के लिये एक हवादार कमरा हो, जिसमें टॉयलेट भी हो।
2. अगर उस कमरे में अन्य परिजन हो, तो दोनों में एक मीटर की दूरी हो।
3. व्यक्ति घर के अन्य बुजुर्गों, गर्भवतियों और बच्चों से दूर रहें।
4. उक्त अवधि में किसी भी समारोह, शादी, पार्टी में सम्मिलित ना हो।
5. साबुन से हाथ धोएं और एल्कोहल युक्त हैंड सैनेटाईजर का इस्तेमाल करें।
6. घर में खुद से पानी, बर्तन, तौलिए और अन्य किसी सामग्री को न छुऐं।
7. सर्जिकल मास्क लगाकर रहें। हर 6–8 घंटे में मास्क बदलें। मास्क का निस्तारण कूड़ादान में सही से करें।
8. संलग्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

अपनी तथा अन्य लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत उपरोक्त निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करना सुनिश्चित करे यदि आपके द्वारा होम संगरोधन (घर पर अलग रहना) का पालन नहीं किया जाता है तो आपके विरूद्ध I.P.C. एवं Epidemic एक्ट के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,जनपद आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner